



फॉर्म III (स्कीम-III के पैरा 3 के उप-पैरा (5) को देखें)
Form III (Refer Sub-Para (5) of Para 3 of Scheme III)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन पद्धति प्रमाणन अनुज्ञप्ति

LICENCE FOR OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन निकाय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित
(Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)

अनुज्ञप्ति सं. ओएच/एल-7000051.6

Licence No. OH/L- 7000051.6

ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के नाते निम्नलिखित को पुनः प्रमाणन देता है:
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby recertifies to:-

मे. न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

M/s Nuclear Power Corporation of India Limited
(A Govt of India Enterprise)

काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र 1 & 2

Kakrapar Atomic Power Station 1 & 2

डाक: अणुमाला, वाया व्यारा, जि: तापी, गुजरात-394 651

PO: Anumala, via Vyara, Dist: Tapi, Gujarat – 394 651

(जिसे इसमें इसके पश्चात इसे अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) इस अनुसूची में वर्णित विशेष तौर पर उत्पाद एवं/ या सेवाओं की प्रक्रियाओं के संबंध में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन के अनुज्ञप्तिधारकों की ब्यूरो की सूची में इस अनुज्ञप्ति के अनुसार इसी संख्याधारक को अधिकार एवं अनुज्ञप्ति सूचीबद्ध किया जाए। IS/ISO 45001:2018 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के अधीन उक्त दिए गए पते (पतों) पर केवल अनुज्ञप्तिधारक द्वारा ऐसे उत्पाद एवं/ या सेवाओं या प्रक्रियाओं को निर्मित किया/ उपलब्ध कराया/ चलाया जायेगा।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's list(s) of Licensees of Occupational Health & Safety Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Occupational Health & Safety Management Systems in accordance with IS/ISO 45001:2018

अनुज्ञप्ति उक्त अधिनियम एवं उनके अधीन नियमों तथा विनियमों के संबंधित उपबंधों की शर्त पर पुनः प्रमाणन किया गया है तथा उक्त संदर्भित अनुज्ञप्तियों को इसके तहत शासित किया जाता है, तथा अनुज्ञप्तिधारक उक्त नियमों एवं विनियमों का पालन किए जाने के लिए ब्यूरो के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध है।

The licence is recertified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह अनुज्ञप्ति 02 फरवरी 2024 से 29 दिसंबर 2026 तक विधिमान्य रहेगा तथा विनियमों में यथा निहित पुनःप्रमाणन दिया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 02 February 2024 to 29 December 2026 and may be recertified as prescribed in Regulations.

सन दो हजार चौबीस के फरवरी माह के पाँचवें दिन हस्ताक्षरित/ मुहरांकित।

Signed, Sealed and dated this Fifth day of February Two Thousand Twenty Four

Sanjay Goswami

संजय गोस्वामी, उपमहानिदेशक (प.)

Sanjay Goswami, Deputy Director General (W)

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Last Certification Expiry –29 Dec 2023

Certification Audit Date: 16-19(FN) Jan 2024

Recertification Due Date: 29 Dec 2026

